# बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in


पत्रांक : नि० प्रा०/नि 5-05/2017 1098 /पटना, दिनांक 25/10/2018

प्रेषक,

**कुमार शांत रक्षित,**
प्रतिनियुक्त पदाधिकारी।

सेवा में,

**प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0)**
पटना सदर।

विषय : **मतदाताओं की पहचान से संबंधित वैकल्पिक दस्तावेज के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्राधिकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि सचिव, दी पीपुल्स को-ऑपरेटिव हाउस कन्स्ट्रक्शन सोसायटी लि०, कंकड़बाग, पटना-800020 द्वारा मतदाताओं के पहचान के लिए समिति द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र को मान्यता देने की सूचना सदस्यों को दी गयी है, जो नियमानुकूल नहीं है।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचक फोटो पहचान पत्र मूल आधार है। ऐसी संभावना है कि कतिपय मतदाताओं का निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं हो, वे निम्नांकित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज (मूल रूप में) अपनी पहचान स्थापित करने हेतु पीठासीन पदाधिकारी/ मतदान पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है:-

(i) पासपोर्ट
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स
(iii) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन)
(iv) आधार कार्ड
(v) राज्य/ केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या सीमित सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
(vi) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र/ लाइब्रेरी कार्ड
(vii) बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पासबुक
(viii) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1/ पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 से संबंधित फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र
(ix) फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
(x) फोटोयुक्त सम्पति संबंधी दस्तावेज, यथा पट्टा, निबंधित डीड
(xi) फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज यथा, पेंशन भुगतान दस्तावेज/ भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ भूतपूर्व सैनिक विधवा प्रमाण पत्र/ आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था पेंशन कार्ड/विधवा पेंशन कार्ड
(xii) फोटोयुक्त रेलवे पास
(xiii) फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अपंगता प्रमाण पत्र
(xiv) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
(xv) फोटोयुक्त एम० एन० आर० ई० जी० ए० (मनरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाण-पत्र (कार्ड)
(xvi) फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड

अतः कृपया मतदान के दिन मतदाताओं के पहचान के लिए उक्त व्यवस्था को लागू किया जाय एवं इसकी सूचना अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किया जाय।

साथ ही चूँकि सचिव के द्वारा सदस्यों को अलग पत्र भेजकर नियम विरूद्ध पहचान पत्र लाने का जिक्र किया गया है, अतः आप सचिव को यह निर्देश भी दें कि वे तीन दिनों में सभी सदस्यों को पत्र भेजकर प्राधिकार के नियम की स्पष्ट जानकारी देकर अपनी भूल सुधार करें । निर्वाचन पदाधिकारी दिनांक 31.10.2018 तक प्राधिकार को अवगत करायें कि इस पत्र का अनुपालन हो गया है और सचिव ने सुधार संबंधी पत्र भेज दिया है।

विश्वासभाजन

25/10/18

**( कुमार शांत रक्षित )**

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी

ज्ञापांकः 1098 /पटना, दिनांक 25/10/2018

प्रतिलिपिः सचिव, दी पीपुल्स को-ऑपरेटिव हाउस कन्सट्रक्शन सोसायटी लि०, कंकड़बाग, पटना-800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/10/18

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी

BSEA Hall dt.25.10..2018_Rajesh